


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

09/21
प्राथना पत्र बिडोल किये जाने बाद-पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली आप पेश हुई चूंकि मूल बाद बिडो किया जा चुका है। अतः प्राथना अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दायित हो एवं नम्बर से कम हो।


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)